न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /अवमानना/2014 अशोकनगर विविध-2336-II/14

राहुल सिंह पुत्र उत्तम सिंह रघुवंशी,
निवासी-16सी-सेक्टर, इन्द्रपुरी, भोपाल
..... आवेदक

बनाम

1. तहसीलदार अशोकनगर,
   जिला अशोकनगर
2. एसडीओ अशोकनगर

..... अनावेदकगण

अवमानना आवेदनपत्र धारा 32 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश राजस्व मण्डल सदस्य श्री एम.के.सिंह प्र. क्र. 1412/निगरानी/2014 अशोकनगर आदेश दि. 05.05.14 को पारित।

श्रीमान् जी,

अवमानना आवेदनपत्र के आधार निम्न प्रकार पेश है :-

1. यह कि, राजस्व मण्डल के निगरानी प्रकरण क्रमांक 1412/ II/2014 आदेश दिनांक 05-05-2014 के आदेश की जानकारी दिनांक 07-05-2014 के आवेदनपत्र के साथ स्थगन आदेश की कॉपी तहसीलदार अशोकनगर को दे दी जिसकी प्राप्ति (प्रदर्श पी-1) के रूप में है, आदेश प्राप्त होने के बाद भी श्रीमान् के आदेश का पालन राजस्व रिकार्ड में नहीं किया, इस कारण भी इनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने का आधार बनता है।

2. यह कि, शिकायती आवेदनपत्र पर गलत आदेश पारित कर राजस्व रिकार्ड में नाम हटाने की तुरन्त कार्यवाही कर दी परन्तु राजस्व मण्डल का स्थगन आदेश 05-04-2014 की जानकारी दिनांक 07-05-2014 को तहसीलदार को दे दी चाहते व वरिष्ठ न्यायालय के आदेश का पालन कर सकते थे परन्तु अनावेदक को लाभ पहुंचाने के लिये तुरन्त राजस्व रिकार्ड से काट दिया रिकार्ड में भी दस्तावेजों की हेराफेरी भी कर दी, इस कारण भी अवमानना का आधार होने से दण्डात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध.2336-दो/2014 जिला- अशोकनगर

राहुल विरूद्ध तहसीलदार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-08-19	आवेदक अभिभाषक श्री कुंवर सिंह कुशवाह एवं अनावेदक शास. अभिभाषक के ग्राहयता पर तर्क सुने गये । 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह विविध आवेदन राजस्व मण्डल की निगरानी प्रकरण क्रमांक 1412/दो/2014 में पारित दिनांक 05.05.2019 के अवमानना के संबंध में प्रस्तुत किया गया है । आवेदक अभिभाषक द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया कि उक्त आदेश का पालन हो गया है या नहीं यह जानकारी नहीं है। यह विविध आवेदन 2014 से लगभग 5 वर्षो से प्रचलित है। आवेदक अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय के पूर्व आदेश का पालन नहीं किये जाने के संबंध में कोई ठोस प्रमाण एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश की अवहेलना की कई है । फलस्वरूप यह विविध आवेदन आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	